

**राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा**

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302006

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे-III /10447

दिनांक:- 29/12/2025

आदेश संख्या:- 474/2025-26

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को पब्लिक फाईनेंशियल मेनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (PFMTI), जयपुर के तत्वाधान में राजस्व अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (REVENUE RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE), जयपुर रोड, घूघरा, अजमेर-305023 में दिनांक 29.12.2025 से 31.01.2026 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के पांच सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है:-

S.No	Roll No.	Name Of Junior Accountant	Name Of Present Posting Office
1.	2.	3.	4.
1.	701503	KHUSHBU CHOUHAN	PRINCIPAL, DEVNARAYAN GOVERNMENT GIRL RESIDENTIAL SCHOOL - SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT, KEKRI, AJMER
2.	701465	RAVI KUMAR	CHAIRMAN - 956 , BOARD OF REVENUE , AJMER
3.	706766	KULDEEP SINGH	CHAIRMAN - 956 , BOARD OF REVENUE, AJMER , AJMER
4.	707944	PARMESHVAR LAL	COMMISSIONER - 1000051 , AJMER DEVELOPMENT AUTHORITY (EX CADRE POSTS) , AJMER , AJMER
5.	710783	NEETU	DIRECTOR - 8622 , AYURVED , AJMER , AJMER
6.	731174	RAJKUMAR MAHAWAR	IG - 954 , REGISTRATION AND STAMPS , AJMER , AJMER
7.	755912	PRAKASH KULDEEP	JOINT DIRECTOR (R.O.) - 17924 , LFAD , AJMER , AJMER
8.	761490	MANISH MEENA	COMMISSIONER - 1000051 , AJMER DEVELOPMENT AUTHORITY (EX CADRE POSTS) , AJMER , AJMER
9.	774989	ARUN KUMAR	SECRETARY - 1000405 , UIT (EX CADRE POSTS) , JAISALMER , JAISALMER
10.	700367	ANJALI NOGIYA	TREASURY OFFICER - 1096 , TREASURIES AND ACCOUNTS , BEAWAR ,
11.	701456	PRAHLAD BIJARNIYA	MEDICAL OFFICER CHC - 23376 , MEDICAL AND HEALTH , MOLASAR , DEEDWANA
12.	701956	PUSHPENDRA SINGH	MEDICAL OFFICER CHC - 23421 , MEDICAL AND HEALTH , RAIPUR , BEAWAR
13.	702522	LOKENDRA KUMAR BOHRA	MINING ENGG. - 8001804 , MINES AND GEOLOGY , BEAWAR , BEAWAR
14.	703088	CHETAN KUMAR CHOUHAN	CDPO - 22795 , INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES , MASUDA , BEAWAR
15.	703102	LAKSHIKA DHOTWAL	DISTRICT EDUCATION OFFICER , EDUCATION (ELEMENTARY) , BEAWAR ,
16.	703415	MONIKA GOUR	CBEO, SMSA - 8000507 , RAJASTHAN SCHOOL EDUCATION COUNCIL SSA (EX CADRE POSTS) , MOLASAR , DEEDWANA
17.	703753	VINITA CHARAN	TEHSILDAR - 24478 , REVENUE DEPARTMENT , PARBATSAR , DEEDWANA KUCHAMAN
18.	727369	SUNIL BHARTI	DC(Adm) - 8000812 , COMMERCIAL TAXES , ALWAR
19.	738683	IRFAN AHMED	SOCIAL SECURITY OFFICER - 3000519 , SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT , MALPURA , TONK

29/12/25

20.	738734	SATYANARAYAN JANGID	SUB TREASURY OFFICER (INDEPENDENT) - 5546 , TREASURIES AND ACCOUNTS , MALPURA , TONK
-----	--------	---------------------	---

उक्त प्रशिक्षण की अवधि पांच सप्ताह की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा एवं प्रतिदिन 06 व्याख्यान (लेक्चर) होंगे। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्णतः गैर-आवासीय है। यद्यपि कार्यदिवसों हेतु मध्याह्न भोजन (Working Lunch) सभी प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा। किन्तु क्रम संख्या 9 पर अंकित कार्मिक का स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर मनोनयन किये जाने के कारण मील भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण अवधि में यात्रा भत्ता नियम के अध्याय XIII के नियम 34(2) अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं होगा। परन्तु मील भत्ता नियमानुसार देय होगा।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकारों को निदेशालय स्तर से दिनांक 29.12.2025 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.12.2025 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देना सुनिश्चित करावें। उक्त प्रशिक्षण अनिवार्य है इसलिए किसी प्रकार का शिथिलन दिया जाना संभव नहीं है।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

सभी कनिष्ठ लेखाकारों को निर्देशित किया जाता है कि TPMS के Online Training (MOOC) पर "Foundation Course on Public Procurement" को भी प्रशिक्षण अवधि में पूर्ण करें।

(संध्या शर्मा)
29/12/2025

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे-III /

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पब्लिक फाईनेंशियल मेनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
4. पाठ्यक्रम निदेशक/प्रभारी, पब्लिक फाईनेंशियल मेनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करावें।
5. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
6. सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथि/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
7. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)